ACM [illegible]

फर्द अहकाम

गीता देवी बनाम अर्जुन

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 134/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	2/5/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 उपस्थित। अप्रार्थी 1 व 2 के प्रा०पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की। अन्य पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी 1 व 2 भी बंटवारा करवाना चाहते है। चूंकि वाद बंटवारे का है अतः जब तक विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक अन्य पक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है फलस्वरूप वाके ग्राम पुराना के ख०न० 247/1 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, ख०न० 253/2 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, ख०न० 352/4 रकबा 1.000 हैक्टेयर ख०न० 353/1 रकबा 7800 हैक्टेयर कुल [illegible] कुल रकबा 3.0700 हैक्टेयर में [illegible] एवं कब्जे की यथास्थिति [illegible] विधिक बंटवारा के निस्तारण तक। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
		[signature]	
		सहायक कलक्टर [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 134/2025 निर्णय दिनांक : 02.04.2026

गीता देवी पत्नी श्री राजूलाल वर्मा जाति बलाई निवासी मकान नम्बर 6, लक्ष्मी विहार–डी, गांधी पथ लालरपुरा, जयपुर

..... प्रार्थीया

बनाम

1. अर्जुन लाल पुत्र रामदेव
2. कमला पत्नी रामदेव
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम पुनाना तहसील जालसू,जिला जयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जयपुर
4. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जयपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– (1) श्री महेश कुमार चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री महेश मीना – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1, 2 ओर से
(3) श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता कैवियटकर्ता

दिनांकः–02.04.2026

निर्णय

प्रार्थिया गीता देवी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम पुनाना की विवादित आराजी खाता संख्या 14 (पुराना 12), कुल रकबा 3.0700 हैक्टेयर में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश किया है । प्रार्थिया का मुख्य तर्क है कि भूमि संयुक्त खातेदारी है और 'सरस–नरस' विभाजन हुए अप्रार्थीगण वहां निर्माण करने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे ही अंतिम बहस की । कैवियटकर्ता ने भी बहस की। बहस के दौरान प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किया कि भूमि संयुक्त खातेदारी की है। उन्होंने न्यायहित में निवेदन किया कि जब तक विधिवत विभाजन (Partition) न हो जाए, तब तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाएं। केवियटकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बंसीधर जाट ने कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि खसरा नम्बर 247/1 के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रामपुराडाबडी जयपुर द्वारा वाद संख्या 43/ध2024 में दिनांक 11–08–2025 को धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता कायम करने का निर्णय पारित किया जा चुका है । उनका आरोप है कि प्रार्थिया ने उस रास्ते की कार्यवाही को रुकवाने के उद्देश्य से यह स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः इसे खारिज किया जावे। उक्त आदेश को जब तक सक्षम न्यायालय खारिज नहीं कर दे तबतक उक्त निर्णय की यथावतता बनी रहेगी

हमने तर्को पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत तर्कों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है और अभी तक इसका विधिक विभाजन नहीं हुआ है । कानूनन, जब तक संयुक्त भूमि का विभाजन न हो जाए, किसी भी सह–खातेदार को विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने या उसे हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार नहीं होता । अतः प्रार्थिया के पक्ष में 'प्रथम दृष्टया मामला' (Prima Facie Case) बनता है। जहाँ तक केवियटकर्ता के तर्क का प्रश्न है, उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जयपुर का आदेश धारा 251–ए के तहत 'रास्ता' कायम करने हेतु है। एक राजस्व न्यायालय को दूसरे समकक्ष या उच्च न्यायालय के प्रभावी आदेश (जो रास्ते के संबंध में है) के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वह आदेश अपास्त न हो गया हो। अतः न्यायहित में प्रार्थिया का स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित भारि (खसरा नं. 247/1, 253/2, 352/4, 353/1) में मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बिना किसी विभाजन के न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही इस पर कोई पक्का निर्माण करेंगे । परन्तु यह स्थगन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

प्रकरण संख्या – 134 / 2025
बंदेवानी गीता देवी बनाम अर्जुन वगै.
निर्णय दिनांक – 02.04.2026

उपखण्ड अधिकारी, रामपुराडाबडी द्वारा खसरा नम्बर 247 / 1 में रास्ता कायम करने हेतु पारित आदेश दिनांक 11–08–2025 के क्रियान्वयन पर प्रभावी नहीं होगा। यदि मौके पर रास्ता चालू है तो भी उस पर यह स्थगन आदेश लागू नहीं होगा। उक्त रास्ते की विधिक कार्यवाही यथावत जारी रह सकेगी। प्रार्थना पत्र का निस्तारण तदनुसार किया जाता है। इसे मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.13 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested